तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नानगा बनाम रामसहाय** **65/10 एवं 233/10**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.17	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में मूल्या की विरासत के नामान्तरकरण का मूल प्रश्न माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाद संख्या 106/2010 उनवानी नानगा बनाम रातसहाय में दिनांक 06.04.2017 को विनिश्चय कर रामसहाय को मूल्या का दत्तक पुत्र नही माना है, अपीलाधीन आदेश मूल्या के दत्तक पुत्र रामसहाय को मानकर किया गया है क्योंकि सिविल न्यायालय गोद के प्रश्न को विनिश्चय कर सकता है और टाईटल सम्बन्धी निर्णय कर सकता है और वह निर्णय रेस्पोडेन्ट के खिलाफ हो चुका है और रामसहाय को मूल्या का दत्तक पुत्र नही माना गया है और उसी के अनुरूप अनुतोष माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रदान कर दिया, इस अपील मे भी मूल प्रश्न यह ही विचाराधीन है। अतः रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के अनुसार यह निर्णय सभी मामलों पर लागू है जो मूल्या की सम्पत्ति से सम्बन्धित है, पूर्व में वाद में भी यही ही सम्पत्ति और यह ही प्रश्न जो वर्तमान अपील में विचाराधीन है तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष भी यही था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्णय अन्तर्गत वाद संख्या 106/2010 उनवानी नानगराम बनाम रामसहाय निर्णित दिनांक 06.04.2017 के अनुसार इस अपील का भी निर्णय पारित किया जावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूल्या पुत्र पून्य की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत ने वर्ष 1990 में ही रामसहाय के मूल्या के गोद पुत्र मानने एवं पूर्व में भी मूल्या की सम्पत्ति रामसहाय के नाम आ चुकी होने के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2010 पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य वाद संख्या 106/2010 बाबत अवैध, शून्य व निरस्त घोषित किये जाने वादग्रस्त विक्रय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहा है जिसके निर्णय दिनांक 06.04.2017	

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नानगा बनाम रामसहाय** **65/10 एवं 233/10**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से रामसहाय को मूल्या ने गोद ले रखा हो और वह मूल्या का दत्तक पुत्र हो, यह तथ्य प्रमाणित नही हुआ मानते हुए विवाधक संख्या सात ए अपीलान्ट के पक्ष में तथा रेस्पोडेन्ट के विपरीत निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब सक्षम न्यायालय समक्ष ही रेस्पोडेन्ट रामसहाय वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूल्या का दत्तक पुत्र साबित नही हो पाया है तो ऐसे में वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूल्या की विरासत के नामान्तरकरण खोलने सम्बन्धी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2010 को उचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2010 एवं नामान्तरकरण संख्या 207 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील बस्सी पर पारित आदेश दिनांक 30.04. 2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	